[Shri Mukunda Mandal]

it is reported CBI was informed of the matter, they did not involve themselves directly in investigating the matter yet. Bank authority in the meantime has given appointment to a retired D.S.P. of CBI as a Special Officer of the Bank. Employees of the bank are being harassed in sanctioning loan from S.P.F. and being asked see C.B.I. Office by letters without giving the purpose of mentioning the name of C.B.I. directly. The Bank authority is reluctant to investigate the whole matter. They want to save the officials who are responsible for the fraud and forgery continued for several years involving few lakhs of rupees.

(iii) REPORTED DAMAGE CAUSED BY HAIL-STORM AND HEAVY RAINS IN HIMACHAL PRADESH

भी बालक राम (गिमला) स्पीकर साहब, नियम 377 के नहन भापने मझे देश के एक पिछड़े राज्य पर श्रभी हाल मे तुफान भ्रीर भ्रोलों से पैदा हुए माली संकट की तरफ लोक मना तथा मरकार का ध्यान दिलाने का जो मौका दिया है इसके लिये मैं भ्रापका धन्यवादी ह। इस मवाल पर चर्वा करने से पहले मैं मत्री महोदय. श्री मुरजीत मिह बग्नाला जी का. पिछले साल हिमाचल प्रदेश मे यायी बाढ़ मे हुए नुकसान के लिये सैन्ट्रल गवर्त नेट से सबसिडी का गेहं दिया गया है, उसके लिये मै भीर मेरे हिमाचन प्रदेश की जनना शकगदार है।

मान्यवर, दूर दर इ इलाकों से घाने वाले लोगों से प्राप्त हुए पत्नों तथा तारों भीर प्रैस रिपोर्टस से यह माफ जाहिर हम्रा है कि साल के प्राखिर में तथा प्रश्रैल के पहले हफ्ते के दौरान समय-समय पर ग्रायी ग्रांधी ग्रीर ब्रोलों से वहां की रबी फ़पल ब्रीर सेब की फन्नन को करोड़ों की लागन का नुकमान हुमा है। जिला शिमला, कुलु घोर जिला सिरमीर में सेंब के बागीचों की मोलों से इतना गुकसान हुन्ना है कि मुश्किल से किसानों

को 25 फ़ीसदी सेंब की फ़सल मिलेगी। शिमला जिले के ऊपरी हिम्से मे तो ग्रांधी भीर मोलों की बरसात उस समय हुई, जब सब के पौधों पर फुल लगे, भीर भांबी, तुफान भीर भोलों से सभी फुल झड गये। जाहिर है कि जब फूल ही झाड़ गय, तो फन कहां से आर्थेगे। भर्तामहोदय इस बात को बखबी जानते है कि हिमाचल प्रदेश के सेव बागान ही वहां की माली हालन की रीढ की हड़डी हैं। सेब की फपल पर ही वहां के किसानों की जिन्दगी मुन्हिमर करनी है। ध्रगर सेव न हो या सेव मस्त विके, तो उस का सीधा प्रमर उन की माली हालन पर पडता है भीर उन्हें मजबूर होकर मजदूरी करनी पड़ती है। बदिकिम्मती से इस राल तुफान ग्रीर श्रीलों से मेरे इस ब्राठलाख अनुसख्या बाल क्षेत्र म बहुत ज्यादा नक्सान हो गया है ग्रीर यहा के लागां का भविष्य भ्रन्धेरमय हो गया है।

Rule 377

हर साल हिमाचल प्रदेश भीमतन 50 लाख सेन की पेटिया बाहर भेजता है। हर सेव की पेटी की उत्पादन लागत 25 रुपये होती है। इस लागत मे साल भर की मेहनत. खाद, मजदूरी श्रीर भाडा वर्गरह शामिल हैं। पैदावार लागत काटने के बाद पद्रह, बीम रुग्या फ़ी-पेटी ही किसान को बचना है। इस नैचरुल फैलेमिटी के बाद मंश्किल से 25 फ़ीसदी सेंब की फमल मिलन का घन्दाजा है। इस तरह से लगभग 50 लाख पेटियों मे से 10 लाख पेटियों का भन्दाजा है। 8 करोड रुपये की लागत की फ़सल झोलों श्रीर झाधी से वर्वाद हुई है।

भव हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। लोग मेहनत-मजदूरी के लिए भटक रहे है। वहां कोई प्राजेक्ट या कारखाना नही है. जहां लोग मजदूरी कर के भपना भीर भपने बच्चों का पेट भर सकें। उनकी रोजी रोटी सेव ही है जो भव नहीं रही। इस हालत मे उनका सामना एक कहत जैसी हालत से होता जा रहा है।

MR. SPEAKER: You have added on many things Mr. Balak Ram.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): All harmless things, Sir..

भी बालक राम: इस लिए मैं कृषि
मंत्री जी में निवेदन करना हूं कि म्रोलों
से प्रभाविन इनाकों के किमानों को पहले
सानों में हुई सेब की फ़मल के म्रनुरात में
सबिमडी दी जाये। इस इलाके के लोगों
को कम कीमत वाला गेहंदिया जाये। किमानों
को लांग-टमंं या मीडियम-टमंं लोन दिलाने
का प्रवन्ध किना जाये। हर नहसील में जल्दी
कोई विकाम प्राजेक्ट या कारखाना खोला
जाये, नाकि लंगों को रोधगार मिन सके।

मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी शिमला पालियानेटरी कांस्टीट्युएन्सी के लोगों की दर्दनाक हालन पर विचार करते हुए मेरे इन सुझावों को जल्टी लागू करने का इन्तजाम करेगी।

MR. SPEAKER: You are adding further and you make it difficult for me to select your Rule 377 notices hereafter. I will make a note of it, Mr. Balak Ram. Making further additions will make it difficult for me to select your Rule 377 Notices later.

(iv) REPORTED CONTINUING PROBLEM OF REFUGEES FROM PAKISTAN OCCUPIED AREAS OF JAMMU AND KASHMIR STATE

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Mr. Speaker, Sir, under Rule 377, I wish to raise the following matter of urgent public importance, regarding the continuing problem of refugees from Pakistan-occupied areas of the Jammu and Kashmir State.

The House is aware that following the invasion of Jammu and Kashmir by Pakistan in 1947, lakhs of people residing in the areas which are still under Pakistan occupation were rendered homeless.

In addition, many thousands of people—mainly Harijans and other weaker sections of society—crossed over from the Sialkot border and took refuge in Jammu.

Although 30 years have elapsed, the claims of these refugees have still not been registered. The Government of India continues to claim that the reason for non-registration of the claims is due to the fact that the areas under Pakistan occupation are legally part of India.

It is of course true that as a result of the Instrument of Accession, the entire State of Jammu and Kashmir as it stood on the 15th August, 1947 is legally and constitutionally a part of India. But it cannot be the intention to penalise the refugees because of our own inability to get the aggression vacated.

There is the additional problem of the refugees from the Chamb areas which passed under Pakistan occupation during the 1971 war, despite the impressive victory that we won.

The House will be surprised to know that refugees from Pakistan occupied Kashmir have not yet been granted the proprietary rights of the land allotted to them in the State, nor have their claims for compensation been duly registered.

As far as the refugees from the Sialkot sector are concerned, they do not yet have the vote in elections to the State Assembly, although they have been living in the State for over two generations now.

I would urge that the Government of India should look into this entire question with sympathy and understanding so that the genuine demands of the refugees are met as early as possible.